

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं०

46/18

दिनांक:- 10-5-18

:: निर्णय / डिक्री ::

श्री गौतम पि. रूपजी व डूबी पत्नी शम्भजी तारा पत्नी मनोज व पटेल हि.ब. साहजकी निर्णय
 सह खातेदारों ने न्याय अधिकार द्वारा 2018 लोक अदालत केम्प में उपस्थित
 होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।
 सहखातेदारों द्वारा ग्राम सतु की जमाबंदी संवत् 2070-73 की
 जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं
 लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्से को पृथक -2
 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया । बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी
 हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारों
 की अभिशंषा की गई ।

ग्राम सतु पटवार हल्का 643 की जमाबंदी संवत् 2070-73
 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 89 नया 77 पुराना खसरा नं० 300,
 362, 1877 योग किता 3 योग रकबा ...

2 बीघा 6 बिस्वा में श्री गौतम पि. रूपजी व डूबी पत्नी शम्भजी तारा पत्नी मनोज व
 सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया
 जाता है कि ग्राम सतु के खाता नं० 89 नया 77 पुराना के
 खसरा नं० 300, 362, 1877 योग किता 3 योग
 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का सहखातेदारों के मध्य प्रस्तुत बटवारा
 स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय / डिक्री की
 पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद की कार्यवाही करे।
 बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय / डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
 डूंगरपुर